पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है : हाईकोर्ट

'प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट अपने आप में पासपोर्ट लेने से नहीं कर सकती वंचित'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अपने आपमें किसी नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसके अलावा पासपोर्ट प्राधिकरण पुलिस की प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट मानने के लिए ही बाध्य नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार और पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 8 सप्ताह में तय करे। हालांकि अदालत ने पासपोर्ट विभाग को छूट दी है कि यदि मामले में कुछ प्रतिकूल मिले तो वे विधिनुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश सावित्री शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके पासपोर्ट प्राप्त करने या नवीनीकरण करने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय केवल पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से ही लिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राकेश चंदेल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पासपोर्ट मई, 2022 तक वैध था। ऐसे में उसने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए विभाग में आवेदन किया, लेकिन पुलिस सत्यापन जांच रिपोर्ट में संदेह होने पर उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए पासपोर्ट नवीनीकरण का आग्रह किया गया। जवाब में विभाग की ओर से अधिवक्ता मनजीत कौर ने बताया कि क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस, नई दिल्ली ने याचिकाकर्ता की पुलिस सत्यापन जांच करवाई थी। इसमें उसकी राष्ट्रीयता संदेहपूर्ण व नेपाली आई है। इस रिपोर्ट पर ही उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण नहीं किया। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके दादा नेपाल में रहते थे, लेकिन याचिकाकर्ता का जन्म भारत में हुआ है। उसकी शादी 2017 में यहीं हुई है। उसके दो बच्चे हैं और वह भारत की नागरिक है। इसलिए केवल पुलिस की प्रतिकूल जांच रिपोर्ट पर उसके पासपोर्ट नवीनीकरण से मना नहीं कर सकते। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस जांच रिपोर्ट के प्रतिकूल होने मात्र से पासपोर्ट से वंचित नहीं करने को कहा है।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2023 को लेकर बहस पूरी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के 15 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस कांस्टेबल के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई। जिसमें सीनियर सैकण्डरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले 15 गुणा को बुलाना था।

दिया कुमारी ने केंद्र से 900 नये आंगनबाड़ी भवनों की मांग की

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाक़ात की।

जयपुर। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी माह में उदयपुर में आयोजित किया जायेगा। इस चिंतन शिविर में केन्द्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर और राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार करेंगे।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की। दिया कुमारी ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से माँग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी

- **उदयपुर में तैयार होगा महिला एवं बाल विकास का रोडमैप, जनवरी में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर**

किया जाये, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में माँग की कि पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार की दरों का 2017 में पुनर्निधारण किया गया था, जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

दिया कुमारी ने राज्य में नये 900 आंगनबाड़ी भवनों की माँग करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिये गये है, जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवनों के हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की मरम्मत राशि को भी जरुरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत 50 हज़ार से एक लाख तक हो सकती है।

उपमुख्यमंत्री ने अपने पत्र में वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आँगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की। दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री से माँग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुश्त राशि मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आर.सी.डी.एफ. को दिल्ली में मिले दो बड़े पुरस्कार

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरेन्द्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली/जयपुर। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित पुरुस्कार वितरण समारोह में आरसीडीएफ की धूम रही। एक ओर जहां, आरसीडीएफ से सम्बद्ध भीलवाड़ा दुग्ध संघ की प्रतापपुरा दुग्ध उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी राजेन्द्र कुमार और वीरेन्द्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टैक्नीशियन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।

आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने प्रतापपुरा दुग्ध समिति के सचिव नानूराम कुमावत और हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के कर्मचारियों के साथ ये पुरुस्कार प्राप्त किये। पुरुस्कार स्वरुप तीन-तीन लाख रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भी विशिष्ठ अतिथि के रुप में कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रीय स्तर के इन पुरुस्कारों के लिये आरसीडीएफ और दुग्ध संघों के पदाधिकारियों को बधाई देते हुऐ उनका मनोबल बढ़ाया। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज यहा नई दिल्ली स्थित मानेकशा सेन्टर में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरुस्कार वितरित किये। पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में गोपाल रत्न राष्ट्रीय अवार्ड एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। विजेताओं का चयन देशभर से 2574 ऑनलाईन आवेदकों में से किया गया था। आरसीडीएफ की प्रशासक और प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर के इन पुरुस्कारों के लिये प्रदेश की सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों और डेयरी कर्मचारियों को बधाई देते हुऐ इसे उनके द्वारा की गई कड़ी महनत का फल बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आरसीडीएफ एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारित मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आयोजित एक समारोह में भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी और आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज को कार्बन क्रेडिट की पहली किस्त सौंपी थी। भीलवाड़ा में फलैक्सी बॉयोगेस के पायलेट प्रोजेक्ट में कार्बन क्रेडिट अर्जित करने और पर्यावरण सुरक्षा के काम की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सरस अमृतम अभियान चलाया गया है। इसी प्रकार युवा, महिला और स्वयं सहायता समुहों के लिये सरस स्वरोजगार योजना 2024 लागू की गई है जिसके अन्तर्गत डेयरी बूथ, शॉप एजेन्सी, सरस कैफे और सरस पार्लर के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। हाल ही में दीपावली के अवसर पर राज्यभर में 125 मेट्रिक टन से अधिक शुद्ध सरस दूध और घी से बनी मिठाईयां बेची गई जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अलवर का मिल्क केक और बीकानेर का रसगुल्ला सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य में डेयरी विकास के क्षेत्र में नवाचारों का यह सिलसिला जारी रहेगा।

मोदी सरकार ने किया बाबा साहेब के सपने को साकार : मदन राठौड़

जयपुर। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसमें राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ उपस्थित रहे। इसके बाद भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी नड्डा का उद्बोधन सुना। बीकानेर हाऊस में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। उच्च स्तरीय बैठक में जन सरोकार के विधिक मुद्दों, प्रदेश के विकास और विकसित भारत की संकल्पना जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिह शेखावत, भूपेंद्र यादव सहित राजस्थान के सांसद उपस्थित रहे। राठौड़ ने कहा कि संविधान ही आज देश को आगे बढ़ने में कारगर साबित हो रहा है। संविधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों के रूप में संवैधानिक ग्रंथ बनाकर दिया है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 19 नवम्बर 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की थी।

संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है : राजदीपक रस्तोगी

जयपुर। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य वकील एवं एनजीओ हेल्प्स द्वारा 75वां संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया। आज अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय राजदीपक रस्तोगी एवं उनके सहयोगी भारत सरकार के अधिवक्ता एवं एनजीओ हेल्प्स के तत्वावधान में 75वां संविधान दिवस का आयोजन राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर झालाना के सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति समीर जैन एवं विशिष्ठ अतिथि के रूप में न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि भारत सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा संविधान दिवस मनाने का संभवत: राष्ट्र में यह पहला कदम है और वह अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग के कारण इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार आयोजित कर रहे हैं और यह भी बताया कि अन्य स्तरों और सरकारी स्तर पर तो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं परन्तु भारत सरकार के अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित यह सम्पूर्ण राष्ट्र में पहला कार्यक्रम है और उन्होंने यह बताया कि भारत के संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार के अन्य वकील एवं एनजीओ हेल्प्स की ओर से राजस्थान सेंटर झालाना कें सभगार में 75वां संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया गया।

था और 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह संविधान का अमृत महोत्सव है। रस्तोगी ने प्राचीनकाल में विद्यमान रही न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और बिना किसी धर्म, जाति या आर्थिक आधार के समस्त नागरिकों को एक से अवसर प्रदान करने का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन जीने का अधिकार विषय पर भी प्रकाश डाला गया।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए न्यायाधीश समीर जैन ने संविधान को रामायण और महाभारत के समकक्ष एक पवित्र ग्रन्थ बताया और उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए वहां उपस्थित वकील समुदाय को आह्वान किया कि इस विषय पर सार्थक चर्चा तब ही हो सकती है जब आपस में मिल बैठकर विचार किया जावे जिस पर भारत सरकार के कई अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रश्न किये गये जिनका उत्तर न्यायाधीश समीर जैन ने दिया। विशिष्ठ अतिथि के रूप में बोलते हुए न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने संविधान निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संविधान में मौजूद मूलभतू अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और यह भी

- **अति.सॉलिसीटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने प्राचीनकाल में विद्यमान रही न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर वर्तमान में भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला**

कहा कि संविधान की रक्षा के लिए न्यायालय सदैव आगे आते रहे हैं और आते रहेंगे जिससे निचले स्तर तक के नागरिक को समान रूप से न्याय मिल सके। एनजीओ हेल्प्स के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त चतुर्वेदी ने संविधान को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए यह कहा कि किस प्रकार भारत का संविधान अपने आप में एक सम्पूर्ण दस्तावेज है जिसके कारण प्रत्यके नागरिक अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का अधिकार रखता है आरै उसे अन्य सभी के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिलता हौ कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार की वरिष्ठ अधिवक्ता मंजीत कौर द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ सम्पन्न हुआ।

संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें : देवनानी

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि संविधान के प्रति अश्रद्धा पैदा ना करें। संविधान के मूल ढांचे को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान के 22 भागों में हमारी संस्कृति और नैतिकता का विवरण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संविधान को पढ़ें, उसे जानें और उसके अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करें। संविधान हमारी आत्मा और पवित्र ग्रंथ है। यह हमारे जीवन मूल्य व संस्कृति का स्वाभिमान भी है। संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक भारत के लोगों की आकांक्षाओं, मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिम्ब है। देवनानी मंगलवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में नवनिर्मित संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया। इस संविधान दीर्घा में मूल संविधान के 22 भागों के आरम्भ में दर्शायी गयी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने बताया कि संविधान दीर्घा का उद्देश्य आमजन और युवाओं में राष्ट्र और राष्ट्र के संविधान का बोध कराने के साथ ही संविधान, सांस्कृतिक और नैतिकता के प्रति जागरुकता लाना है। उन्होंने संविधान दिवस को संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करने तथा उनके अविस्मरणीय योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का स्मरण दिवस बताया है।

विधानसभा में अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर पहली बार आयोजित संविधान दिवस समारोह में सैकड़ों अधिवक्ता, विधि संस्थानों के छात्र-छात्राओं के साथ ही अन्य नागरिक और विधान सभा के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को विधानसभा में संविधान दीर्घा का लोकार्पण किया।

लिया। देवनानी ने अधिवक्ताओं का आवहान किया कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों की पालना कराने में सहयोगी बनें। संविधान की आत्मा और डॉ. अंबेडकर की अपेक्षाओं के अनुरूप आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लोगों को शीघ्र न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, संविधान की रक्षा हो, संविधान में निष्ठा हो और हम सभी असवैधानिक कार्यों से बचें। उन्होंने समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए कहा।

देवनानी ने कहा कि संविधान के 22 भागों के मुख पृष्ठ पर भारत की संस्कृति और स्वाभिमान को दिखाती हुई तस्वीरें है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों में भारत की प्राचीन सम्यता मोहन जोदड़ो से लेकर महाभारत में कुरुक्षेत्र और कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान, भगवान श्री राम की लंका विजय, भगवान बद्ध का जीवन चरित्र, महान सम्राट अशोक, उज्जैन के न्यायिप्रय महाराज विक्रमादित्य के राजदरबार, प्राचीन वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय, भगवान नटराज, रामभक्त हनुमान के साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, छत्रपति वीर शिवाजी और गुरु गोविन्द सिंह को प्रदर्शित किया गया है।

देवनानी ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा और लिखित संविधान है। यह हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का इतिहास उन लाखों भारतीयों के संघर्षों और स्वतंत्र होने की आशाओं में निहित है जो स्वतंत्रता, न्याय एवं समानता के लिए तरस रहे थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की प्राप्ति के लिए आशा की चिंगारी जलाई थी।

संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधान सभा जैसे पवित्र स्थल पर पहली बार आयोजित संविधान दिवस समारोह महत्वपूर्ण है। संविधान की मूल भावना जनसेवा है और यह मानव शक्ति का संचार है। भारत का संविधान सशक्त है। इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक की आस्था बढी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम

- **विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान हमारी आत्मा और हमारा पवित्र ग्रंथ**
- **विधानसभा में पहली बार मनाया गया संविधान दिवस**

जूली ने कहा कि राष्ट्र की वायु, धरती और पानी पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। राष्ट्र में सभी समान है, इसलिए सभी के लिए एक जैसा विधान है, जिसे संविधान कहते हैं। संविधान के मर्म को गहराई से समझे और अपनी जिम्मेदारी निभायें।

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि विधान सभा की संविधान दीर्घा और आज के दिवस का सामान्जस्य है। न्याय पालिका, कार्य पालिका और विद्यायिका को मिलकर संविधान का अनुपालन करना चाहिए। संविधान के ज्ञान का प्रसार ही संविधान दिवस का मूल उद्देश्य है। अतिरिक्त महाधिवक्ता बसत छाबा ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान का स्वरूप निहित है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन माथुर ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाना ही संविधान की अनुपालना है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देवनानी ने अतिथियों को संविधान की प्रक्रिया स्मृति स्वरूप भेंट की। इस मौके पर राजस्थान विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के.के. शर्मा सहित अधिवक्ता, विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी और विधानसभा के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

रामपुर फाटक पर बनेगा ओवर ब्रिज

जयपुर। सांगानेर विधानसभा में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। उसमें विधायक भजनलाल शर्मा सांगानेर विधानसभा में लगातार सौगातों पर सौगात देने का कार्य कर रहे हैं। इस श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामपुरा फाटक सांगानेर रेलवे स्टेशन पर लगातार यातायात के दबाव और जनता को घंटो रामपुर फाटक पर इंतजार करते देख रामपुरा फाटक पर पुलिया और लो हाइट सबवे बनाने का फैसला लिया है।

'बॉडी बदलाव वाली बसों को सड़क पर चलने की नहीं दे सकते मंजूरी'

जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम और एआईएस नियमों की अवहेलना कर बॉडी में बदलाव करने वाली बसों को आमजन की सुरक्षा को देखते हुए सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि इन बसों के चलने की छूट दी गई तो इससे ना केवल कानूनी नियमों की अवहेलना होगी, बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा। अदालत ने याचिकाकर्ता बस संचालकों को छूट दी कि वे संबंधित परिवहन अधिकारी के यहां से अपनी बसों की बॉडी में बदलाव करने के लिए उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना कर वे बसों का संचालन नहीं कर सकते। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश हरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता बस संचालक तय अवधि में अपनी बसों की बॉडी में बदलाव नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में विभाग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया : जूली

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर तिवाडी के नेतृत्व में संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी एवं सभा का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य वक्ता पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी बीएम शर्मा, विधायक एवं सचेतक रफीक खान, विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र सिंह राघव पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं ललित तूनवाल, संगठन महासचिव, प्रदेश कांग्रेस आदि ने संबोधित किया।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया और अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु कानून बनाया और उन्होंने संविधान दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर आर

- **संविधान दिवस पर जिला कांग्रेस ने की विचार गोष्ठी**

तिवाडी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को संविधान को पढ़ना चाहिए और इसकी जानकारी प्रत्येक कार्यकर्ता को होनी चाहिए कि संविधान में हमें क्या अधिकार दिए हैं और क्या कर्तव्य हैं।

प्रोफेसर बी एम शर्मा ने संविधान दिवस पर आयोजित बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का संविधान सबसे अधिक समय में लिखा जाने वाला बड़ा संविधान है और लगभग 106 बार इसमें संशोधन करके आज की परिस्थितियों के अनुसार इसको बनाया गया है जबकि अमेरिका में आज भी सबसे छोटा संविधान है और सबसे कम बार संशोधन किया गया है।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना, पूर्व सांसद अश्क अली टाक, पूर्व अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड अर्चना शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, सचिव अयूब खान, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी मोहम्मद सलीम, विनय पाल जादौन, पी डी शर्मा, जगदीश शर्मा, अतुल पारस, हरेंद्र पाल सिंह जादौन, युगल किशोर शर्मा, जावेद सेठी, राजीव चौधरी, रतन सैनी, रोहतास सिंह, राजकुमार शर्मा, कैलाश खारड़ा, रामावतार मोगरा सहित सैकड़ो कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष, मण्ड़ल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, पूर्व पार्षद, चारों अग्रिम संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारी एवं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं उपस्थिति थे।